भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5536
26.07.2019 को उत्तर के लिए
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

5536. श्री हसनैन मसूदीः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) एनआरसीपी के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में कार्य की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय का एनआरसीपी के अंतर्गत झेलम नदी के संरक्षण का कार्य करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) : नदियों में प्रदूषण को कम करना एक सतत एवं जारी रहने वाली प्रक्रिया है। यह राज्य सरकार/सबंद्ध स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है कि वे नदियों में प्रदूषण के उपशमन के लिए मल-जल के संग्रहण, लाने-ले जाने और शोधन के लिए उचित सुविधाओं की व्यवस्था करें। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत सहभाजन के आधार पर परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी) के माध्यम से लागू की जा रही राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के द्वारा विभिन्न नदियों के अभिज्ञात क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित कर रहा है। □□□□□□□□□ □□ तहत (□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा □□□□ □□□□ □□) 5870.54 □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ 16 □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ 77 □□□□□□□ □□□ 34 □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ 2378.73 □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ अब तक 2522. 03 □□□□□□□ (□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□) □□ □□-□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□ जिसके परिणामस्वरूप, नदियों में निस्सरित की जा रही प्रदूषण की मात्रा में कमी आई है।

(ख) : जम्मू और कश्मीर में उधमपुर में देविका और तवी नदी में प्रदूषण उपशमन के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच लागत सहभाजन के आधार पर एनआरसीपी के तहत 186.74 करोड़ रूपये की लागत पर एक परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना में भारत सरकार का अंशदान 168.66 करोड़ रूपये और राज्य सरकार का अंशदान 18.08 करोड़ रूपये है। परियोजना के तहत स्वीकृत किए गए प्रमुख घटकों में, 13.6 एमएलडी की कुल मल-जल शोधन क्षमता वाले तीन मल-जल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) का निर्माण, सीवर लाइन बिछाना, मल-जल पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण, काष्ठ के उन्नत शवदाह गृह का निर्माण और नदी तटाग्रों का विकास शामिल है। भारत सरकार द्वारा परियोजना के लिए इसके अंशदान के रूप में 30.00 करोड़ रूपये की राशि भी जारी की गई है।

(ग) और (घ) : नदियों में प्रदूषण उपशमन के लिए, राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं जिनकी, नदी में प्रदूषण की स्थिति, एक-समान अंशदान वहन करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता, मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई परियोजनाओं का अनुपालन करने तथा कार्यक्रम के तहत निधियों की उपलब्धता के आधार पर, एनआरसीपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जांच की जाती है और इन पर विचार किया जाता है। एनआरसीपी के तहत जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी में प्रदूषण उपशमन के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

****